सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06/2020	2020/00036	11.08.2020	26.02.2021

श्री अम्बालाल पिता कारूलाल मीणा निवासी ग्राम बनेड़िया खुर्द तहसील व जिला प्रतापगढ़

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्रीमती कोदरीबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि रामलाल निवासी ग्राम भणावदा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमती थावरीबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि रमेश निवासी ग्राम हरवार तहसील जीरन व जिला नीमच (म.प्र)
3. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि भगतराम निवासी ग्राम हरवार तहसील जीरन एवं जिला नीमच (म.प्र)
4. श्रीमती रूक्काबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि राजु निवासी ग्राम फोफलीया तहसील जीरन एवं जिला नीमच (म.प्र)
5. श्रीमती ईन्द्राबाई पुत्री कारूलाल मीणा पत्नि लक्ष्मण निवासी ग्राम सोडलपुरीया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश दिनांक 03/07/2020 न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ (राज.) मौजा बनेड़ियाखुर्द की आराजी बाबत

उपस्थिति :–

1. श्री धर्मचन्द नागौरी एडवोकेट
2. पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक – 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडी बम्बोरी में मृतक रामीबाई पत्नि मांगीलाल मीणा की खातेदारी में कृषि जमीन आराजी नंबर 158 मीन रकबा 0.42 एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.00 है. मौजा बडी बम्बोरी में जिसमें रामीबाई तन्हा उसकी खातेदारी में अंकित थी जिसकी मृत्यु दिनांक 31.07.2017 को हो

230

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

चुकी है और उसके पति मांगीलाल पिता कारूलाल की मृत्यु दिनांक 04.08.2017 को हो चुकी है। रामीबाई और मांगीलाल के कोई औलाद नहीं होने से अपीलान्ट रामीबाई का देवर होने से उसके द्वारा उक्त जमीन का नामांकन अपने नाम कराने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज होकर उसमें नोटिस जारी किये और बाद सुनवाई अपीलान्ट अपीलान्ट के साथ उसकी बहीनों का नामांकन करने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ ने आदेश दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न उजरात पर पेश है :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने बडी बम्बोरी की आराजी नंबर 158 मीन रकबा 0.42 एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.00 है. के बाबत् अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट के नाम अंकन करने का आदेश जो दिया है जो त्रुटिपूर्ण है तथा हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 अनुसूचित जनजाति पर लागु नहीं होती है जिस कारण उनके नाम नामांकन में अंकन नहीं किये जा सकते है साथ साथ रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के नाम पर इन्तकाल भरने में अपनी रजामन्दी जाहिर कर जवाब दिया और उनके बयान भी अधिनस्थ न्यायालय में लेखबद्ध किये ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के नाम उनका नाम इन्तकाल भरा जाने का आदेश न्याय एवं नियम के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है और अपील उचित न्याय मुद्रांक पर अन्दर मयाद पेश है।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट की सूचना हेतु अपील मेमों की नकल मय सम्मन नोटिस प्रोसेस अपील के साथ पेश है।
4. यह कि अन्य उजरात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.07.2020 निरस्त करने और विवादग्रस्त आराजीयात तन्हा अपीलान्ट के नाम अंकन करने हेतु आदेश प्रदान करावें और प्रकरण तहसीलदार को पुनः प्रेषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 कि ओर से कोई उपस्थित नहीं अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में बहस अपीलार्थी एक तरफा पूर्ण की गई।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बड़ी बम्बोरी में स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 158 मीन रकबा 0.42 एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.00 हैक्टर भूमि दिगर मृत्तका खातेदार श्रीमती रामीबाई पत्नि श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के दिनांक 31.07.2017 को तथा श्री मांगीलाल मीणा के दिनांक 04.08.2017 को लाऔलाद फौत होने उक्त मृत्तकों के वारीसान में शुमार अपीलार्थी (अम्बालाल पुत्र कारूलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़) के साथ साथ अपीलार्थी की बहिने श्रीमती कोदरीबाई, थावरीबाई, सुन्दरबाई, रूक्का बाई, एवं ईन्द्राबाई के द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त विरासत का नामान्तरकरण कार्यवाही में उनके नाम शामील नहीं करते हुए पूरा खाता भाई अपीलार्थी के नाम दर्ज करने हेतु सहमती पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार, प्रतापगढ़) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने उपरान्त भी तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा निर्णित नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 17/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में समेकित रूप से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जन जाति संवर्ग के सदस्य होकर उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 2 के प्रावधान लागु नहीं होते है। जिससे यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 03.07.2020 को अपास्त फरमा राजस्व ग्राम बड़ी बम्बोरी में स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 158 मीन रकबा 0.42 एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.00 हैक्टर भूमि दिगर मृत्तका खातेदार श्रीमती रामीबाई पत्नि श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के विरासत से इन्तकाल में अपीलार्थी के नाम तन्हा दर्ज करने का आदेश प्रदान कराने के निर्देश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 24.07.2020 एवं अधिनसथ तहसीलदार प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 17/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 एवं प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम बड़ी बम्बोरी में स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 158 मीन रकबा 0.42 एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.00 हैक्टर भूमि दिगर मृत्तका खातेदार श्रीमती रामीबाई पत्नि श्री मांगीलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द पटवार मण्डल मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ के लाऔलाद दिनांक 31.07.2017 एवं 04.08.2017 को मृत्यु हो जाने उपरान्त दिगर मृत्तका खातेदार श्रीमती रामीबाई पत्नि श्री मांगीलाल से

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि के सजरा खानदान अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 प्रथम श्रेणी के विधिक वारीसान दर्शित रिकार्ड होना तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 17/2017 में प्राप्त जांच रिपोर्ट पटवार हल्का मनोहरगढ़ अनुसार प्रतीत होते हैं किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधार कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण आदिम जाति (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य होने की स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अन्तर्गत विरासत से इन्तकाल कार्यवाही हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही अन्तर्गत अमल में लाया जाया संशयप्रद प्रतीत होता है जिससे अपील अपीलार्थी विधिक स्थिति में सारभूत साबित होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 17/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2020 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रकरण संख्या 17/2017 का पुनर्विलोकन अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के जाति (आदिम जाति अनुसूचित जनजाति) संवर्ग सदस्यों हेतु प्रचलित कस्टोमरी लॉ एवं विरासत के कानुन में प्रचलित विधियों के तहत समुचित संपुष्टि उपरान्त विधिवत नामान्तकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया लेखबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner